न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 183/2017/225 आर टी ए

1. सैफुला पुत्र नूर मोहम्मद जाति कलाल मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अलादिता पुत्र नूर मोहम्मद जाति कलाल मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. अरसा बेवा स्व. नूर मोहम्मद जाति कलाल मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट/अप्रार्थीगण

बनाम

1. सरदार मोहम्मद पुत्र स्व. अलादिता जाति कलाल मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मोहम्मद रजा पुत्र स्व. अलादिता जाति कलाल मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/प्रार्थीगण

3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी प्र0सं0 05/2013 बअनवानी सरदार मोहम्मद आदि बनाम सैफुला आदि

उपस्थित :–
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–03.08.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वीकृति रास्ता प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अपीलांटस की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. रेस्पो बाद तामील उपस्थित नही आने के कारण अधिवक्ता अपीलांटस एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को जवाबदेही का कोई अवसर प्रदान नही किया तथा पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 11.08.17 जवाब हेतु नियम थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह पत्रावली बिना

सूचना राजस्व कैम्प सालीवाला मे रखते हुए अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चक 1 एमकेएस बी के प.न. 208/218 मु.न. 26 मे अपीलांट की एक बीघा ही भूमि अर्थात कि.न. 25 है। इस कि.न. 25 मे पहले सही दो बिस्वा गैरमुमकिन खाला स्वीकृत व चालू है तथा इस रास्ता के चिपते दक्षिणी पूर्वी कोना पर प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 को अपीलांट की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने का विधि अनुसार कोई अधिकार नही था। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 के परिवार की वंशावली प्रकट करना आवश्यक है। साखू के दो पुत्र खुशी मोहम्मद व अलादिता है तथा खुशी मोहम्मद के दो पुत्र जपार मोहम्मद व मुस्ताक मोहम्मद है और अलादिता के दो पुत्र सरदार मोहम्मद व मोहम्मद रजा है। चक 1 एमकेएस बी मे स्व. साखू के दोनो पुत्र खुशी मोहम्मद व अलादिता की सांझा खाता की भूमि प.न. 208/218 मु.न. 26 कि.न. 16, 17, 24 व प.न. 208/219 मु.न. 31 कि.न. 4 थी। इस 4 बीघा भूमि का बंटवारा खुशी मोहम्मद व अलादिता ने परस्पर किया तथा प.न. 208/218 मु.न. 26 के कि.न. 16, 17 अलादिता को व प.न. 208/218 मु.न. 26 के कि.न. 24 व 208/219 मु.न. 31 कि.न .4 खुशी मोहम्मद को प्राप्त हुआ। वर्तमान में उक्त भूमि अलादिता व खुशी मोहम्मद के वारिसान के नाम दर्ज है। कानूनन रेस्पो0 सं. 1 व 2 अपने परिवार की भूमि मे से ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है तथा वे प.न. 208/218 मु.न. 26 कि.न. 24 जो खुशी मोहम्मद को बंटवारा मे प्राप्त हुई थी, मे से ही रास्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते थे। रेस्पो0 सं. 1 व 2 की अभिकथित भूमि प.न. 208/218 मु.न. 26 कि.न. 4, 6, 7, 14 से 17 संयुक्त नही है बल्कि कि.न. 4/2, 6, 15, 16 रेस्पो0 सं. 1 के तथा कि.न. 4/2, 7, 14, 17 रेस्पो0 सं. 2 के नाम अलग से दर्ज है। अधीनस्थ द्वारा स्वीकृत रास्ता सिर्फ रेस्पे0 सं. 1 की भूमि के लिए ही रास्ता की सुविधा प्रदत करता है जबकि रेस्पो0 सं. 2 की भूमि के लिए यह रास्ता चिपता नही है यदि कि.न. 24 मे पूर्वी सिरे पर यह रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 व 2 की पृथक पृथक भूमि को रास्ता सुविधा प्रदत होती। रेस्पो0 सं. 1 व 2 अपने ही परिवार अर्थात अपने पिता के भाई खुशी मोहम्मद की भूमि कि.न. 24 मे से ही आवागमन करते आये है और वर्तमान मे भी इसी कि.न. 24 मे से ही आवागमन कर रहे है। रेस्पो0 ने बिना किसी आधार के अपीलांटस को तंग परेशान करने की नियत से प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करवाया है जो किसी भी सूरत मे स्वीकृत योग्य नही था परन्तु अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता स्वीकृत कर दिया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश कर अपीलांटस की खातेदारी भूमि चक 1 एमकेएस बी के प.न. 208/218 मु.न. 26 कि.न. 25 मे रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण/अपीलांटस नियत थी तथा इसी दौरान पत्रावली कैम्प कोर्ट मे ली जाकर रास्ता स्वीकृत कर दिया जिस कारण अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। साथ ही यह तथ्य भी बहस अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रकट किया गया कि ''चक 1 एमकेएस बी मे स्व. साखू के दोनो पुत्र खुशी मोहम्मद व अलादिता की सांझा खाता की भूमि प.न. 208/218 मु.न. 26 कि.न. 16, 17, 24 व प.न. 208/219 मु.न. 31 कि.न. 4 थी। इस 4 बीघा भूमि का बंटवारा खुशी मोहम्मद व अलादिता ने परस्पर किया तथा प.न. 208/218 मु.न. 26 के कि.न. 16, 17 अलादिता को व प.न. 208/218 मु.न. 26 के कि. न. 24 व 208/219 मु.न. 31 कि.न .4 खुशी मोहम्मद को प्राप्त हुआ। वर्तमान में उक्त भूमि अलादिता व खुशी मोहम्मद के वारिसान के नाम दर्ज है। कानूनन रेस्पो0 सं. 1 व 2 अपने परिवार की भूमि मे से ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है तथा वे प.न. 208/218 मु.न. 26 कि.न. 24 जो खुशी मोहम्मद को बंटवारा मे प्राप्त हुई थी, मे से ही रास्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते थे। रेस्पो0 सं. 1 व 2 की अभिकथित भूमि प.न. 208/218 मु.न. 26 कि.न. 4, 6, 7, 14 से 17 संयुक्त नही है बल्कि कि.न. 4/2, 6, 15, 16 रेस्पो0 सं. 1 के तथा कि.न. 4/2, 7, 14, 17 रेस्पो0 सं. 2 के नाम अलग से दर्ज है। अधीनस्थ द्वारा स्वीकृत रास्ता सिर्फ रेस्पे0 सं. 1 की भूमि के लिए ही रास्ता की सुविधा प्रदत करता है जबकि रेस्पो0 सं. 2 की भूमि के लिए यह रास्ता चिपता नही है यदि कि.न. 24 मे पूर्वी सिरे पर यह रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 व 2 की पृथक पृथक भूमि को रास्ता सुविधा प्रदत होती।'' अधिवक्ता अपीलांटस अपने तथ्य

की पुष्टि के संबंध मे फार्म नं. 3 के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 1 एमकेएस–बी खाता सं. 22/20, जमाबंदी चक 1 एमकेएस–बी खाता सं. 6/10, पर्चा खतौनी चक 1 एमकेएस उपनिवेशन विभाग प्रस्तुत किये। अपीलांट को अपने पक्ष रखने बाबत कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार की बिना सुने तथा बिना दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये पारित आदेश की पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत तथा वैकल्पिक रास्ता को मध्यनजर रखते हुए वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.09.2018 को उपस्थित हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ